आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित

11.02.2020

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा

वाद सं0:- R.M.R. 05/2016-17

रबीनाथ किस्कू **बनाम** सरजु मिर्धा एवं अन्य

आदेश

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय वाद सं0 R.E.-20/2012-13 में पारित आदेश दिनांक–10.02.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

पक्षकार के अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि पक्षकार रबीनाथ किस्कू के दादाजी सोखा@साका किस्कू मौजा-निताईडीह सरदारी सर्कल-लाधना का जमाबंदी रैयत है साथ ही वे डी0वी0सी0 मैथन द्वारा जमीन अधिग्रहण कर लिए जाने के कारण वे विस्थापित हो गये। पक्षकार का कहना है कि विषयगत जमीन को सोखा किस्कू की आवश्यकता एवं दयनीय स्थिति को देखते हुए गोपाल डोम एवं राखाल डोम के द्वारा अपने जीवन काल में मौजा–सहरडाल के जमाबंदी नं0–24 का दाग सं0–2014, रकवा–04 डी0 एवं दाग सं0–2516, रकवा–33डी0, कुल–37डी0 जमीन सौखा किस्कू को ग्रामीणों के समक्ष बसोढ़ी बन्दोबस्त के आधार पर दिया गया। तत्पश्चात् वे परिवार सहित मौजा–सहरडाल के जमाबंदी नं0–24, प्लॉट नं0–2514 अंश रकवा–4डी0, एवं प्लॉट नं0–2516 अंश रकवा–33डी0 एवं कुल रकवा–37डी0 पर बसोबास करने लगे। करीब 70 वर्षो से वे चारदीवार सहित कच्चा मकान बनाकर शांति पूर्वक बसोबास करते आ रहे है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–सहरडाल के जमाबंदी रैयत है। मौजा–सहरडाल के जमाबंदी नं0–24, प्लॉट नं0–2014 एवं 2016 गत सर्वे खतियान में गोपाल डोम एवं राखाल डोम के नाम पर दर्ज है। विपक्षी सरजु मिर्धा एवं जगत मिर्धा गत सर्वे खतियान जमाबंदी नं0–24 के खतियानी रैयत गोपाल डोम के पोता है एवं राखाल डोम नावल्द है। उक्त जमीन अहस्तांतरणीय स्वत्व की कृषि जमीन है जिसे पक्षकारों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। इस जमीन से पक्षकार का कोई परिवारिक संबंध नहीं है एवं वे पूर्ण रूप से इस मौजा के जमाबंदी रैयत नहीं है। पक्षकार को उक्त जमीन पर किसी प्रकार का वैध बन्दोबस्ती प्राप्त नहीं है। उक्त विषयगत जमीन अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय के नामांतरण वाद संख्या–47/1999–2000 में दिनांक–27.11.2003 को पारित आदेश के आलोक में सरजु मिर्धा और जगत मिर्धा, पिता– स्व0 सोनाराम डोम, ग्राम–सहरडाल के नाम पर नामांतरण स्वीकृत है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में सलंग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। पक्षकार रबीनाथ किस्कू के द्वारा विवादित जमीन मौजा–सहरडाल, जमाबंदी नं0–24 के प्लॉट सं0–2014 एवं 2016 के अपने या अपने पूर्वजों के नाम पर बन्दोबस्त होने संबंधी कोई वैध कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय वाद सं0 R.E.-20/2012-13 में दिनांक–10.02.2016 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय वाद सं0 R.E.-20/2012-13 में दिनांक–10.02.2016 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Seen
3/3/2020

DB 12/4

लेखापित एवं संशोधित
11/02/2020
उपायुक्त
जामताड़ा।

11/02/2020
उपायुक्त
जामताड़ा।

Scanned with CamScanner